भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण **INSURANCE REGULATORY AND** India DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

संदर्भः आईआरडीएआई/एचआर/ओआरडी/पीईआर/087/05/2019 Ref: IRDAI/HR/ORD/PER/087/05/2019

30-05-2019

कार्यालय आदेश Office Order

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को पदनामित करना Re: Designating Central Public Information Officer under the Right to Information Act, 2005

कार्यालय आदेश संदर्भः आईआरडीएआई/एचआर/ओआरडी/पीईआर/199/08/2017 दिनांकित 28-08-2017 में आंशिक संशोधन करते हुए, श्रीमती लता सी., उप महाप्रबंधक को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अनुसार उक्त अधिनियम के अधीन समनदेशित कार्यों का निर्वहण करने के लिए आईआरडीएआई के पुनर्बीमा विभाग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है।

यह उनके सामान्य कार्यों के अतिरिक्त होगा तथा यह तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

In a partial modification of Office Order Ref: IRDAI/HR/ORD/PER/199/08/2017 dated 28-08-2017, Smt. Latha C., Deputy General Manager, is designated as a Central Public Information Officer for Re-insurance Department in IRDAI in terms of Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005 to discharge functions assigned under the Act.

This will be in addition to her normal duties and will come into force with immediate effect.

(एम. पुल्लासव / M. Pulla Rao)

कार्यकारी निदेशक (सामान्य) / Executive Director (Gen.)

पति Cc

- 1. अध्यक्ष सचिवालय / Chairman's Secretariat
- 2. सभी सदस्य / All Members
- 3. विधि विभाग / Legal Department
- 4. सू.प्रौ. विभाग को इंट्रानेट पर प्रदर्शित करने हेतु / IT Department to place on intranet